राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–787/2024

राममनोहर सिंह गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अति.आयुक्त एवं उप सचिव–द्वितीय, राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू, जयपुर।
4. गोविन्द गौड़, अति.विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तूंगा, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में पंचायत समिति, चाकसू जयपुर में अति. विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, चाकसू से पंचायत समिति, तूंगा जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी ने पंचायत समिति, चाकसू में अति. विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 12.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किया। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प अवधि में ही किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी वर्तमान पद पर पदोन्नति होने से पूर्व भी पंचायत समिति चाकसू में वर्ष 2021 से कार्यरत था। वर्ष 2023 में अपीलार्थी की पदोन्नति के पश्चात भी अपीलार्थी बतौर अति.विकास अधिकारी के पद पर भी पंचायत समिति, चाकसू में कार्यरत है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि

अपीलार्थी समिति चाकसू से अल्प अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हो। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. **1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)